रघुनाथ बनाम चौथू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा 26 अ - 163/2022
4-4-23	[faint stamp, illegible] 10-5-23
10.5.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 22.6.23 को पेश हो।
22.6.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 27/6/23 को पेश हो।
27-6-23 रघुनाथ ताराचन्द	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उप.। प्रकरण में वकील वादी ने साक्ष्य वादी में रघुनाथ पुत्र मोठू उम्र 65 साल जाति जाट, ताराचन्द पुत्र भगवराम आयु 35 साल जाति जाट के लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये तथा फर्द दस्तावेज किता - 5 पेश किये जो शामिल मिशल किये गये। वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 10-7-23 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
10.07.23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षीय [illegible] गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा [illegible] निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने [illegible] कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 10/07/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
163 / 2022	2022 / 282	08.12.2022	10.07.2023

उनवान

1. रघुनाथ उम्र 65 साल
2. सागरमल उम्र 63 साल
3. भागीरथ उम्र 60 साल
   पुत्रगण मोठू
4. अंजू पुत्री रामेश्वर पौत्री मोठू उम्र 30 साल
5. अनिता पुत्री रामेश्वर पौत्री मोठू उम्र 28 साल
6. ममता पुत्री रामेश्वर पौत्री मोठू उम्र 25 साल
7. मेवा पत्नी रामेश्वर पुत्रवधु मोठू उम्र 60 साल
   जाति जाट निवासी ग्राम सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपर जिला सीकर राजस्थान

—— वादीगण——

बनाम

1. चौथू पुत्र गोदा जाति जाट उम्र 76 साल निवासी ग्राम सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——प्रतिवादीगण ——

उपस्थित : –

श्री फूलचन्द सामौता एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री झाबर सिंह भारणी एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–2।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

10/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ वादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 545 रकबा 2.0700 तन् ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान अवस्थित है। पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी आपस में एक ही परिवार खानदान से है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान की मौरूसी पैत्रिक कृषि भूमि है एवं इसक अलावा अन्य पैत्रिक पारिवारिक भूमियां है जिनका पारिवारिक सैटिलमेन्ट काश्त की सुविधा के अनुसार कर रखा है जिसके अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 545 रकबा 2.0700 है0 में से भूमि रकबा 1.7800 है0 अर्थात् हिस्सा 178/207 पारिवारिक सैटिलमेन्ट के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त चल आयी हुयी है एवं उक्त भूमि पर वादीगण हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं बाकी भूमि रकबा 0.2900 है0 अर्थात् हिस्सा 29/207 प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 के बदस्तूर रहेगी एवं प्रतिवादी को वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है इसलिए वादीगण प्रतिवादी को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी को उपरोक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20.09.2022 को इन्कार हो गया एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 545 रकबा 2.0700 है0 अवस्थित तन ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हिस्सा 178/207 में से वादीगण को हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 को एवं 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 को एवं 1/4 हिस्सा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

10/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादी संख्या 3 को एवं 1/4 हिस्सा का वादीगण संख्या 4 ता 7 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जावें एवं बाकी हिस्सा 29/207 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखी जावें। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त करवायी जावें एवं प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादीगण उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित समस्त वादीगण की पहचान वादीगण वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने साक्ष्य वादी में रघुनाथ पुत्र मोटू उम्र 65 साल जाति जाट, ताराचन्द पुत्र भग्गूराम आयु 65 साल जाति जाट के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये तथा फर्द दस्तावेजात पेश किये जो शामिल शामिल पत्रावली किये गये। जिस पर वकील वादीगण ने वा[illegible] बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण में पक्षकारान [illegible]ा आपसी समझौता/राजीनामा [illegible]ा होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण व वकील

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

18/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी पक्षकार वादी संख्या 1 ता 7 को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अकेले के ही दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुये आपसी समझौते/राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 545 रकबा 2.0700 है0 अवस्थित तन ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हिस्सा 178/207 में से वादीगण को हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 1 को एवं 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 को एवं 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 3 को एवं 1/4 हिस्सा का वादीगण संख्या 4 ता 7 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने एवं बाकी हिस्सा 29/207 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखी जाकर राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर कृषि भूमि खसरा नम्बर 545 रकबा 2.0700 है0 अवस्थित तन ग्राम सिहोड़ी पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

10/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

में हिस्सा. 178/207 में से वादीगण को हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 1 को एवं 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 को एवं 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 3 को एवं 1/4 हिस्सा का वादीगण संख्या 4 ता 7 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने एवं बाकी हिस्सा 29/207 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखी जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

10/07/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक **10.07.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

10/07/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested